न्यायालय उप तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 52/25 निर्णय दिनांक 30/8/25

सरकार जरिये बनाम श्री सुरेश/बाद .... रामचन्द धाकड़

पटवार हल्का गोविन्दपुरा निवासी ....

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम गोविन्दपुरा पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोविन्दपुरा ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री सुरेश/बाद .... रामचन्द ने तहसील बेगूँ के ग्राम .... में स्थित आराजी नम्बर 625 रकबा 0-25 किस्म .... पर दौराने सम्वत् 2081 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को .... अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम .... में स्थित खसरा नम्बर 625 रकबा 0-25 किस्म .... भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 2-00 रू. का 50 गुणा राशि 100/- रूपये आरोपित किये जाते है। जो वसूल हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 28.01.11 सिविल अपील संख्या नम्बर 1132/2011 व एस.एल.पी.(सी) नम्बर 3109/2011 श्री जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के अनुसार चरागाह भूमिया आवंटन/नियमन नही की जा सकती है।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

उप तहसीलदार
उप तहसीलदार
बेगूँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Lal Yadav
Date: 2025.12.12 16:22:51 IST
Reason: SelfAttested

क्र.नी. 1550
मांग धारा 91 .... रजिस्टर 91
मांग .... पर कायम की गई।
में पेज संख्या ....

तहसील राजस्व लेखाकार
बेगूँ